न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 113 / 2020

बउनवानः–

चन्द्रकलां पुत्री सूरजमल पत्नि धनराज जाति तम्बोली निवासी मांगरोल होल निवासी चूंडी बाजार दर्जीयों के मंदिर के पास बारां

...वादिनी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91 आर0टी0एक्ट0

वकील वादिनी : श्री अजीत कुमार जैन

दायरा दिनांकः 27.10.2020 निर्णय दिनांक : 29.01.2021

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादिनी ग्राम बमोरीकलां की निवासी है। वर्तमान में बारां निवास कर रही है। वादिनी के पिता सूरजमल की काश्तशुदा आराजी ग्राम बमोरीकलां में कुल किता 4 कुल रकबा 2.41 है0 नया खाता संख्या 418 पुराना 600 की शामलाती रूप से स्थित है। जो मांगीलाल पुत्री सूरजमल, बद्रीबाई पत्नि सूरजमल के नाम दर्ज है। वक्त इन्तकाल सूरजमल की मृत्यु उपरान्त वादिनी का नाम बिना जांच पडताल राजस्व अधिकारी ने चन्द्रकांता पुत्री सूरजमल दर्ज कर दिया जबकि वादिनी का नाम चन्द्रकलां है। वादिनी चन्द्रकला व चन्द्रकांता एक ही महिला का नाम हैं। चन्द्रकलां नाम की ही बेटी है। चन्द्रकांता नाम की सूरजमल के ओर पुत्री नही है। तथा सरकारी दस्तावेजो में यूको बैंक बारां, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड एवं समस्त सरकारी दस्तावेजो में चन्द्रकलां ही नाम दर्ज है। अतः निवेदन है कि हाल राजस्व रेकार्ड जमाबंदी ग्राम बमोरीकलां तह0 मांगरोल जिला बारां राज0 की खाता संख्या नया 418 की कुल किता 4 कुल रकबा 2.41 है0 में चन्द्रकांता पुत्री सूरजमल के स्थान पर चन्द्रकलां पुत्री सूरजमल दर्ज करने के आदेश पारित करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:38:54 IST
Reason: SelfAttested

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर ... 27.10.2020 को ... रजिस्टर किया गया अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो ... रिपोर्ट हेतु तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) ने अपने पत्र क्रमांक ... राजस्व / 2020 / 659 दिनांक ... 12.2020 से जवाब प्रस्तुत किया जिसके अनुसार ग्राम बमोरीकलां की खाता संख्या 600 जमाबंदी सम्वत

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (रा.)

2073–76 में चन्द्रकांता पुत्री सूरजमल हिस्सा 1/8 पर सही नाम चन्द्रकलां पुत्री सूरजमल का नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने की अनुशंषा की है। पत्रावली में दिनांक 29.01.2021 को गवाह जानकी बाई पुत्री सूरजमल के बयानात करवाये गये। उक्त गवाह ने भी वादिनी के प्रार्थना पत्र का अपने बयान में समर्थन किया है तथा जाहिर किया है कि वादिनी का सही नाम चन्द्रकलां ही है।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो का आद्योपान्त अध्ययन, अवलोकन व मनन किया गया। वकील वादिनी की दिनांक 29.01.2021 को एक पक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता वादिनी ने अपनी बहस में उन्हीं तथ्यों का कथन किया जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात यथा राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि से भी वादिनी का नाम चन्द्रकलां पुत्री सूरजमल जाति तम्बोली निवासी बमोरीकलां होना जाहिर होता है। अतः तहसीलदार मांगरोल की रिपोर्ट एव संलग्न दस्तावेजात व दिनांक296.01.2021 को अधिवक्ता वादी की सुनी गयी बहस के आधार पर ग्राम बमोरीकलां की आराजी खाता संख्या 418 किता 4 रकबा 2.41 है0 की राजस्व जमाबंदी में दर्ज चन्द्रकांता पुत्री सूरजमल कोम तम्बोली को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर चन्द्रकांता उर्फ चन्द्रकलां पुत्री सूरजमल कोम तम्बोली निवासी बमोरीकलां दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार तहसीलदार मांगरोल को राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.01.2021 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Signature Not Verified

Digitally signed by Shatrughan Singh Gurjar
Date: 2021.02.03 12:38:54 IST
Reason: SelfAttested